XXVIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2408–दो / 14 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-9-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन न दिए जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरात अनावेदक की ओर से दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए स्थगन आवेदन अमान्य किया गया है । स्थगन देना या न देना यह अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नही है । परिणामतः यह पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता है । सदस्य	

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री ... आज दि. 4-8-14 ... प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R 2508-II/14

रामणि गुप्ता तनय सूर्यभान गुप्ता उम्र–65 वर्ष पेशा–सेवा निवृत्त शिक्षक निवासी ग्राम–चुरहट थाना व तहसील चुरहट जिला–सीधी (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1. चक्रधर प्रसाद पाण्डेय तनय राजबिहारी पाण्डेय उम्र–66 वर्ष पेशा–खेती निवासी ग्राम–चुरहट थाना व तहसील चुरहट जिला–सीधी (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन

..........................अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध अन्तरिम आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला–सीधी प्रकरण क्र.37/अपील/2013–14 आदेश दिनांक–21.07.2014

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहीता 1959

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण निम्न है:–

1. यह कि ग्राम– व तहसील चुरहट जिला–सीधी की आराज़ी खसरा नम्बर–1032/6 रकवा 0.834 है. का पूर्व भूस्वामी अनावेदक क्र.1 था जिससे आवेदक ने दिनांक–22.12.2000 को 25X103 अर्थात 2575 वर्ग फिट को जरिये पंजीकृत विक्रीनामा के आधार पर क्रय कर कब्जा दखल प्राप्त किया है। तथा पुनः पूर्व में क्रय सुदा रकवे से लगा उत्तर तरफ 7X103 फीट अर्थात 721 वर्ग फिट पुनः क्रय कर पूरे रकवा मकान पर बनाकर प्राइवेट स्कूल का संचालन कर रहा है।

2. यह कि आवेदक द्वारा क्रय सुदा भू–खण्ड का आवेदक के नाम पर पट्टा